न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 54/2024 — **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/255**
दायर दिनांक :– 23.05.2024 — **निर्णय दिनांक :– 21.10.2024**

1. गोरधनराम पुत्र हुकमाराम जाति विश्नोई निवासी सदरी तहसील लोहावट जिला फलोदी
वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)
प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खरीदसुदा संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नंबर 152/3 रकबा 8.0938 हैक्टेयर सरहद मौजा सिन्धीपुरा पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबंदी संवत् 2075–2078 संलग्न वाद पेश है कि वादी के नाम से वादी की उम्र 8 वर्ष बाल्यावस्था में वादी के पिता ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र के खरीद की थी। वादी के बचपन एवं घर परिवार में बोलते नाम पपूराम पुत्र हुकमाराम विकय पत्र में टंकित करवा दिया। उक्त वादगस्त भूमि के खरीद के वक्त उप पंजीयक कार्यालय में केता के उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं थी एवं न ही फोटो व हस्ताक्षर की अनिवार्यता थी इस वजह से उक्त विकय पत्र में वादी का लाड एवं प्यार का नाम पपूराम पुत्र हुकमाराम टंकित करवा दिया गया और उक्त खरीद अनुसार वादी के पक्ष में नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम गोरधनराम पुत्र हुकमाराम है इसी नाम से वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा शैक्षणिक दस्तावेजात आदि बने हुवे है और घर परिवार व गांव में भी वादी को वर्तमान में गोरधनराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का पूर्वानुसार नाम पपूराम पुत्र हुकमाराम ही दर्ज है। वादी को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर विकास कार्य एवं कृषि साख इत्यादि बनाने में वादी का नाम जमाबंदी में पपूराम पुत्र हुकमाराम दर्ज होने से भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम सिंधीपुरा पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड के खेत खसरा नंबर 152/3 रकबा 8.0938 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादी के बचपन एवं बोलते नाम पपूराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम गोरधनराम पुत्र हुकमाराम के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो

21.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 152/3 रकबा 8.0938 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र के वादी के पिता द्वारा खरीद की थी। जिसके आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर माफिक विक्रय पत्र अनुसार स्वीकृत हुआ, जिसमें वादी का नाम माफिक विक्रय पत्र अनुसार पपूराम पुत्र हुकमाराम दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है। वाद के साथ पेश पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम गोरधनराम पुत्र हुकमाराम है। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्ध किये, वादी के पड़ोसी खातेदार लाछादेवी पत्नी दीनाराम के बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 152/3 रकबा 8.0938 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में माफिक विक्रय पत्र अनुसार पपूराम पुत्र हुकमाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, गाम उदय नगर पटवार हल्का सदरी तहसील लोहावट के खाता संख्या 16 की जमाबंदी, गाम पंचायत सदरी पंचायत समिति लोहावट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, जन आधार, बैंक डायरी इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम गोरधनराम पुत्र हुकमाराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 152/3 रकबा 8.0938 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम पपूराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर गोरधनराम पुत्र हुकमाराम नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

21.10.24
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. गोरधनराम पुत्र हुकमाराम जाति विश्नोई निवासी सदरी तहसील लोहावट जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 54 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलंकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 152 / 3 रकबा 8.0938 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम पपूराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर गोरधनराम पुत्र हुकमाराम नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.10.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested